nt>

12.46 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT

PUBLIC IMPORTANCE

Collapse of bridge linking Moti Daman and Nani Daman in the Union Territory of Daman and Diu resulting in loss of human lives and steps taken by the Government in regard thereto

Title: Shri Mohan S. Delkar called the attention of the Deputy Prime Minister towards collapse of bridge linking Moti Daman and Nani Daman in the Union Territory of Daman and Diu on 28th August, 2003.

MR. SPEAKER: The House will now take up Calling Attention.

Shri Dayabhai V. Patel − Not present.

MR. SPEAKER: Since Shri Dayabhai V. Patel is not present, Shri Mohan S. Delkar can call the attention.

SHRI MOHAN S. DELKAR (DADRA AND NAGAR HAVELI): Sir, I call the attention of the Deputy Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon: -

> "Situation arising out of the collapse of the bridge linking Moti Daman and Nani Daman in the Union Territory of Daman and Diu resulting in loss of human lives and steps taken by the Government in regard thereto. "

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise the issue of Hajis. It is a very, very important and serious problem. I will refer to it in two minutes.

MR. SPEAKER: If there is 'Zero Hour', you can do that.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : अब कालिंग अटेंशन नोटिस पर बहस शुरू हो चुकी है। डेलकर जी, सुनिये, उत्तर चालू है। During 'Zero Hour' you can raise it.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND IN CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): Mr. Speaker, Sir, the 298 meter long Damanganga Bridge connecting Moti Daman and Nani Daman caved in around 1330 hours on the 28th August, 2003 and several vehicles crossing the bridge fell into the river. The rescue operations were launched within a few minutes of the incident by the local boatmen, fishermen and divers. The Coast Guard, the Fire Brigade and the Police were also deployed to assist in the rescue and recovery operations. The Coast Guard at Mumbai was also requested to fly another team of divers to assist in the rescue operations. The local police also registered an FIR connected with the incident against officials of the local Public Works Department.

The rescue teams were able to save 12 persons, seven of whom had received grievous injuries. All the 12 persons so rescued were rushed to nearby hospitals for medical treatment. The intensive search and rescue operations were continued till late in the night and again resumed the following day in the morning. The dead bodies of 25 persons were recovered, of whom 23 were school-going children in the age group of 7-15 years. Besides, one Maruti van, one Indica car, four auto rickshaws, five scooters/motorcycles and one bicycle were retrieved from the river.

The Central Government vide MHA Notification No.13034/39/2003-GP dated 1st September 2003 appointed Shri R.K. Singh, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, to conduct an inquiry into the circumstances which led to the collapse of the Damanganga bridge and submit his report by 30th September 2003. In relation to engineering and other technical aspects of the incident, he is being assisted by Shri A. Chakravarthi, Chief Engineer, South Zone.III, Central Public Works Department, Bangalore. The extension of time for submitting the report was also given and the report is now required to be submitted by 15th December, 2003.

The UT Administration have paid an ex-gratia @ Rs. 1 lakh per person to the next of kin of the two adults who lost their lives in the incident. The next of the kin of 28 minors who lost their lives have been paid ex-gratia @ Rs. 50,000/- per person by the UT Administration and Rs. 50,000/- each by the Daman Red Cross Society. The seven persons who were seriously injured in the incident were also paid ex-gratia @ Rs. 10,000/- per person by the UT Administration. The next of kin of the person who died in stone-pelting in an incident of firing and looting which

followed immediately after the collapse of the bridge and loss of lives, has also been paid an ex-gratia amount of Rs. 1 lakh by the Red Cross Society, Daman.

The U.T. Administration have engaged private buses and boats for providing free transport services to the public and the school going children. The Administration is spending about Rs. 1,50,000 per day for providing the free transport to the public and the school children till the normal communication link is restored between the two townships.

As a permanent means of communication between Moti Daman and Nani Daman, the Government has approved the construction of a new bridge across river Damanganga at an estimated cost of Rs. 15.739 crore. This work will be executed through Gujarat Public Works Department as a deposit work and the lead time allowed will be 24 to 30 months. In the meanwhile as a short term measure the Government have approved the restoration of the collapsed bridge which shall be executed by Ominibus Industrial Development Corporation (OIDC) through M/s. National Building Construction Corporation (NBCC). The technical consultancy to the latter shall be provided by M/s. RITES, another Central Government Undertaking.

श्री मोहन एस.देलकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक अति संवेदनशील और अति गंभीर विाय को उठाने की अनुमति दी। दमन पुल टूटने से 28 बच्चों की जान चली गयी। वे बच्चे ऐसे थे कि जिस घर में दो बच्चे थे, उन दोनों की जान चली गयी। जिस घर में एक ही बच्चा था, उसकी भी जान चली गयी। इसलिए यह अति संवेदनशील मामला है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वहां पर भयंकर लापरवाही हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह पुल 1983 में बना था। उस समय इसकी अवधि दस साल की तय की गयी थी। 1993 में इस पुल की अवधि खत्म हो चुकी थी। यह पुल लोहे के खम्भे से बना हुआ था। उस समय यह बताया गया था कि इस पुल की अवधि लम्बी नहीं है। इस बीच इंजीनियर्स एसोसियेशन ने यह भी बताया कि इस पुल की अवधि खत्म हो चुकी है इसलिए यह पुल कभी भी गिर सकता है। उसके बावजूद भी दस साल तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस पुल को चालू रखा। आखिर में यह पुल गिर गया।

जिस तरीके से यह ब्रिज टूटा है, यदि आप फोटो देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रिज कितना कमजोर हो गया था। ऐसा नहीं है कि यह पुल अचानक गिर गया। यह पुल इतना कमजोर हो गया था कि वह अपने आप ही गिर गया। इसमें बहुत भयंकर लापरवाही हुई है। इस लापरवाही के कारण 28 बच्चों की जान चली गयी। कल दमन-दीव पूरा बंद था। इस बंद का सर्व समाज ने विक्टिम कमेटी, भारतीय जनता पार्टी, शिव सेना समेत सभी पोलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था। पूरा दमन कल बंद था। लोग सदमे में हैं, दुखी हैं क्योंकि अलग-अलग घरों के 28 बच्चों की इसमें जान चली गयी। दमनवासी इतने दुखी है कि उन्होंने इस साल दीवाली तक नहीं मनायी। दमन के लोग क्या चाहते हैं? वे लोग चाहते हैं कि इसकी निपक्ष जांच होनी चाहिए। हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आदर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जांच किसके माध्यम से हो रही है ?

गृह मंत्रालय की डिज़ास्टर कमेटी जांच कर रही है। पूरी यूनियन टेरीटरी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उसी गृह मंत्रालय के अधिकारी जांच करें। हमारे प्रशासन में जो अधिकारी हैं, वे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसकी निपक्ष जांच नहीं होगी। जो फायरिंग हुई, उसमें भी दो जवानों की जान चली गई। एक कलैक्टर के आर्डर से फायरिंग हुई और दूसरा कलैक्टर उसकी जांच करेगा। लोगों को न्याय कहां मिलेगा। लोग मुआवजा नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि इसकी निपक्ष जांच हो। लोग चाहते हैं कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। यह कोई हादसा नहीं है, सिर्फ लापरवाही की वजह से पुल गिर गया और इतने सारे बच्चे मर गए। मैं तो कहता हूं कि लोगों की जान चली नहीं गई बल्कि जान ले ली गई है। क्या इसकी निपक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ज्यूडीशियल इन्क्वारी नहीं होनी चाहिए, तथ्य बाहर नहीं आने चाहिए कि इसके पीछे क्या सच्चाई है? प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं।

महामहिम राट्रपति जी दो महीने पहले उस पुल के ऊपर से गुजरे थे। उस पुल के ऊपर उनका पूरा काफिला रुका था। उस समय भी उसे फिटनेस सर्टीफिकेट दिया गया। वहां बताया गया कि उस पर एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपने वह एक करोड़ रुपया कहां डाला? क्या सर्टीफिकेट दिया, क्या रिपेयर का काम हुआ? जब हम मृत बच्चों के परिवार के लोगों से मिलने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि गांव में यह बात चल रही है कि उस पुल के ऊपर से महामहिम राट्रपति जी गुजरे थे। यदि उस समय कोई घटना घट जाती तो क्या होता। आप राट्रपति जी के बारे में यह कहते हैं। जिन 28 बच्चों की जान चली गई, क्या उनमें से कोई बच्चा देश का राट्रपति नहीं बनता? क्या आपने हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती मान ली? यह सवाल मुझसे उन परिवारों ने किया लेकिन मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। सदन में बैठे हुए कोई भी सदस्य इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यह इतना गंभीर मामला है। हमारी एनडीए सरकार की पारदर्शिता हमारा मुख्य मुद्दा है। हम यह नहीं चाहते कि आप सजा दीजिए। हम चाहते हैं कि इसकी निपक्ष जांच हो, तथ्य बाहर आएं। हम इसकी न्यायिक जांच चाहते हैं। पूरे दमन के लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। एक ही बात पर पूरा दमन बंद हुआ था कि इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, दमन की भारतीय जनता पार्टी न्यायिक जांच की मांग कर रही है, दमन की शिवसेना पार्टी न्यायिक जांच की मांग कर रही है, दमन की ब्रिज कोलैप्स की विकटिम कमेटी न्यायिक जांच की मांग कर रही है। 40 समाज की कमेटी यह मांग कर रही है। उनको गृह मंत्रालय की डिजॉस्टर कमेटी की जांच पर िवश्वास नहीं है। दमन का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। वहां बैठे हुए अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, सिर्फ वे नहीं चाहते कि इसकी न्यायिक जांच हो।

हम उप प्रधान मंत्री जी से रिक्वैस्ट करते हैं, मुझे यह भी सुनने में आया है कि आप 19 दिसम्बर को दमन जाने वाले हैं। वहां के अखबारों में यह निकला है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आदेश दीजिए कि इसकी न्यायिक जांच हो. तथ्य बाहर आएं, सच्चाई बाहर आए। यह पूरे दमन-दीव के लोगों की मांग है। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मांग को पूरा करें और आदेश गें कि इसकी न्यायिक जांच हो।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद और वहां के लोगों का जनमत जानने के बाद मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री जी से आपके जरिए निवेदन करूंगा कि वे आज ही इस बात की घोाणा करें कि वहां न्यायिक जांच होगी।

13.00 hrs.

इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहां 28 लोगों तथा मृत बच्चों की इस न्यायिक जांच को मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष जी, इस मामले की ज्यूडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिए। जो इतनी लापरवाही बरती गई है जिसके कारण 28 बच्चों की जान चली गई।â€¦ (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि गृह मंत्रालय ही उस केन्द्र शासित प्रदेश को चला रहा है और गृह मंत्रालय के

अधिकारी ही उसकी जांच कर रहे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोगों के मन में यह शंका उठेगी कि यह जांच निपक्ष कैसे करेंगे ? अपनी कमी को कैसे उजागर करेंगे? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह मांग बिल्कुल वाजिब है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, we all support this.

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे सामने इस विाय पर बोलने वाले दो सदस्य और हैं। वे यहां बोलना चाहते हैं। This is time for lunch hour. Should I complete this Calling Attention? तो क्या यह चर्चा अभी लंच से पहले पूरी करेंगे ? वैसे इसमें ज्यादा बोलने का प्रश्न नहीं है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, मोहन डेलकर जी ने सारी बातों को यहां रखा है और माननीय प्रधान मंत्री जी इस देश के संवेदनशील व्यक्ति हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है और हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपनी संवेदना यहां सदन में रख दी है। मुझे इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं दमन में गया था तो उन सारी बातों की जानकारी मैं यहां देना चाहता हूं।

दमन में एक-एक परिवार के लोगों ने जिनके दो-दो-तीन-तीन बच्चे मर गए थे, उनकी मां ने रोकर सिर्फ यही कहा कि हमें न किसी की राहत की जरूरत है और न किसी की संवेदना की जरूरत है। उप प्रधान मंत्री जी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि दुबारा दमन में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप हमारा संदेश प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दें। दूसरे, जब यह घटना घटी, उसके पहले मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उप प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की थी और उन्होंने उस पुल का उद्घाटन करने के लिए समय भी दिया था कि आप खुद पुल का उद्घाटन करने दमन में जा रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इसमें अफसर होंगे, जो कांट्रैक्टर होंगे, जिन्होंने इस पुल को बनाया या जिन्होंने इस पुल के बनाने के बाद मरम्मत के कार्य में करोड़ों रुपये खर्च किए, वे करोड़ों रुपये इसमें लगे कि नहीं लगे? यह मेरा प्रश्न है। जब एक पुल की अवधि समाप्त हो गई तो उस पुल की अवधि बढ़ाने का कौन सा औचित्य था? किसकी परमिशन से यह बढ़ाई गई और यदि बढ़ाई गई तो दूसरी बार और तीसरी बार क्यों बढ़ाई गई ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि जो घटना घटी, उस घटना के घटने के बाद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि जिस तरह से मछुआरों ने बेमिसाल काम किया है, शायद हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वैसा इतिहास और सेवा की प्रतिमूर्ति वे मछुआरे हो सकते हैं क्योंकि यदि उनमें से 12 लोग बचे और 28 बच्चों की लाश उस तूफान में समुद्र में से निकाली गई तो यह के वल उन मछुआरों की देन है जिन्होंने उनको निकालने में अपना सर्वस्व लगा दिया। जो इस घटना के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग क्यों हुई? निश्चित रूप से पूरा दमन मर्माहत था क्योंकि एक-एक घर के दो-दो-तीन-तीन बच्चे चले गये थे और वह बच्चा भी कैसा कि जिसको देखने में मौत ही हो सकती है, इतना सुन्दर बच्चा था और उस मां के सामने उस बच्चे का दृश्य था। वहां लोग यदि सड़क पर उतरे तो बगैर संवेदना के फायरिंग हो जाए, संवेदनाहीन हो जाए, फायरिंग हो जाए और फायरिंग में लोग मारे जाएं और मारे जाने के बाद लाश घसीटकर लाई जाए और लाश को फिर दुबारा नहीं दिया जाए। इतना ही नहीं, मुआवजा तो छोड़ दीजिए, मुआवजा पचास हजार या एक लाख जो भी मिलेगा, उस मुआवजे की दमन में किसी को भी इच्छा नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि इस घटना के बाद किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी बड़े पदाधिकारी ने किसी भी घर में संवेदना देने का काम नहीं किया। किसी के पास जाकर न्याय की बात नहीं की कि हम इसमें इतने गलत पदाधिकारियों को जिन्होंने गलत भूमिका निभाई है, हम उनको नहीं बख्शेंगे।

यदि उस वक्त गृह मंत्रालय और वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह कह दिया गया होता और इन बातों का खुलासा कर दिया होता कि इस पुल के सम्बन्ध में जिसने भी घोटाला किया है, जिसकी भी भूमिका संदिग्ध होगी, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे तो यह घटना न घटती और सदन में न उठती। दमन के लोग आप पर विश्वास करते हैं। सारी पार्टियों के लोगों ने वहां पर मांग की है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, तो निश्चितरूप से दमन की जनता की भावनाओं और संवेदनाओं को देखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक जांच भी समय के अंदर होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जांच करते हुए एक साल, दो साल या चार साल बीत जाएं, जैसी इस देश में जांच की प्रक्रिया है। इसलिए छः महीने के अंदर यह न्यायिक जांच पूरी होनी चाहिए। यदि न्यायिक जांच नहीं हो सकती, तो संसद की जे.पी. सी. के द्वारा या अन्य किसी कमेटी का गठन करके, गृह मंत्रालय के पदाधिकारियों को इससे अलग करके, जांच कराई जाए। वहां की जनता की संवेदनाओं को देखने के बाद यही मेरा आपसे आग्रह है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मोहम्मद अनवारूल हक (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे ही यह घटना घटी हम चार-पांच माननीय सदस्य वहां पहुंचे। हमने वहां जाकर देखा कि पूरे इलाके में कर्फ्यू छाया हुआ है। हर जगह शोक सभाएं हो रही हैं। लेकिन पदाधिकारियों में इस बात की चर्चा तक नहीं है कि हम उन लोगों के घरों में जाकर संवेदना व्यक्त करें, जिन्होंने अपने बच्चों को इस हादसे में गंवा दिया। हम चार-पांच माननीय सदस्य उन तमाम घरों में गए, जिनके घरों से बच्चों की लाशें निकाली गई थीं। हमने वहां जाकर उनके परिजनों से बातचीत की। उनको सांत्वना दी और भरोसा दिलाया। यह जांच का विाय है इसलिए जांच होनी चाहिए। यह स्पट हो चुका था कि इस पुल की लाइफ दस साल पहले खत्म हो चुकी थी। इंजीनियर भी बार-बार कह रहा था कि इस पुल से आवागमन बंद होना चाहिए। उस बीच महामहिम राट्रपति का प्रोग्राम बना और उस पुल को चालू करने के लिए एक करोड़ रुपए दिए गए। मैं उप प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस राशि में सिर्फ चार-पांच लाख रुपये ही केवल उस पुल की रंगाई में खर्च किए गए, बाकी पैसा वहां प्रशासन ने रख लिया। जब यह घटना घटी, तो लोग अपने बच्चों की लाशें मांगने गए। वहां 24 घंटे तक घेरकर रखा गया उन लाशों का बुरी तरह से पोस्टमार्टम किया गया। लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि पोस्टमार्टम न किया जाए और लाशें हमारे हवाले कर दी जाएं। सब लोग एकजुट होकर वहां गए थे, तो बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. की तरफ से उन लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें दो-तीन लोग मारे गए। जिस तरह से वहां के लोगों और मछुआरों के साथ जुल्म-ज्यादती की गई, अगर आप वहां जाते और यह देखते तो लगता कि इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई है। हर जगह दरिंदे ही दरिंदे नजर आ रहे थे।

यहां पर उप प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। अभी हमारे वरिठ साथी चन्द्रशेखर जी ने भी कहा है कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जांच हो रही है, चार-पांच महीने तक जांच ही चलती रहे। अभी वहां कलेक्टर के रैंक का अधिकारी इस घटना की जांच कर रहा है। इससे वहां की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा चन्द्रशेखर बाबू ने कहा है निश्चितरूप से इसकी जांच होनी चाहिए और कम अवधि में होनी चाहिए। उप प्रधान मंत्री जी सदन में अगर ऐसा कहेंगे तो वहां के लोगों को यकीन होगा। जो लोग शोक में डूबे हुए हैं, उनको सरकार पर और उप प्रधान मंत्री जी पर विश्वास होगा कि हमें इंसाफ मिलेगा।

श्री मोहन रावले : जिन लोगों की वजह से इन मासूम बच्चों की जानें गई हैं, उन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : ऐसा हादसा है कि कलेजा मुंह को आता है। आप खुद हुकूमत को डायरेक्शन दें कि इसकी ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): It is better to have a judicial inquiry.

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी ने सब कुछ सुना है और उन्हें विश्वास है कि वे सदन की भावना ठीक तरह से समझेंगे।

श्री लालकृण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिठ सदस्य और देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने और बाकी सदस्यों ने भी जो कुछ कहा है,

मैं समझता हूं कि वह सदन की भावना को अभिव्यक्त करता है। उसमें आम-सहमति है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो इंक्वायरी हुई, वह प्रमुख रूप से इस ब्रिज के संबंध में ही है। इस तरह से 23 बच्चों का मर जाना एक गंभीर मामला है। इसमें 23 बच्चों की मृत्यु हुई है, दो बुजुर्गों की मृत्यु हुई है तथा एक व्यक्ति और मारा गया है। मैंने सबका उल्लेख किया है और यह बहुत ही गंभीर घटना है। इसलिए अगर सबकी राय यही बनती है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुभव हमारा यही बताता है कि बहुत बार न्यायिक जांच की प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि जो चीज जल्दी से जल्दी ज्ञात होनी चाहिए वह उतनी जल्दी होती नहीं है। आज मैंने इस इंक्वायरी के टर्म ऑफ रैफरेंस देखे। उसमें मुख्य रूप से यही है कि

> "Whether extensive repairs in the form of retrofitting of the bridge were undertaken properly and as per the technical specifications recommended by the consultant;

इस ब्रिज का रेट्रोफिटिंग जिसको कहते है जैसे किसी सदस्य ने कहा कि एक करोड़ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ? वह 2001 में खर्च हुआ। दूसरा सवाल यह है कि -

> Whether, after these extensive repairs, the day-to-day maintenance work in the form of cleaning of strepsil joints of end bearing etc., was carried out properly, regularly and in conformity with the technical requirements;

फिर यह कहा गया कि -

> Whether there was any negligence in assessing the roadworthiness of the bridge from time to time;
>
> Whether there was any deficiency in the rescue and search operations launched by the Administration after the bridge caved in on 29th August."

मुझे स्वयं को लगा कि अगर इसके परिणाम ठीक आ जाते हैं और पहले जिन्होंने तय किया, उन्होंने भी इसका निर्णय पहले लिया होगा जिससे जल्दी से जल्दी इस बात का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में हुआ क्या था, कौन दोाी है? इसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मामले में जो भी दोाी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। इसीलिए चुनकर एक सीनियर चीफ इंजीनियर, साउथ जोन, बंगलौर से इस काम पर लगाया गया है। जो देखेगा कि क्या कमी हुई है। लेकिन जो सदन की भावना है उसके अनुरूप, मैं आपकी सलाह से चलूंगा। इसकी रिपोर्ट 15 दिसम्बर तक आयेगी। उस समय तक रुक कर आगे बढ़ें या आज ही इस बात को घोाित करें कि इसकी न्यायिक जांच होगी।

श्री मोहन एस.देलकर : आज ही न्यायिक जांच के आदेश दे दीजिए।

श्री लालकृण आडवाणी : ठीक है। मैं इसको उचित समझता हूं क्योंकि वहां की जनता को भी संतोा इसी से होगा और सदन को भी संतोा इसी से होगा कि न्यायिक जांच हो। इसकी न्यायिक जांच होगी, यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं।

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again 2.00 p.m.

13.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.